



# आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

प्रथम तल उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

Email- [mda@idabihar.com](mailto:mda@idabihar.com) Web- [www.idabihar.com](http://www.idabihar.com) Phone/Fax: 0612-2302991, 2302998/2302989

32  
189

## कार्यालय-आदेश ✓

प्राधिकार के निदेशक पक्ष के 30वीं बैठक के संलेख सं0 06 के अन्तर्गत दिये गए निर्देश के आलोक में अनुबन्ध पर कार्यरत सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को देय 10 (दस) आकस्मिक अवकाश में वृद्धि कर 16 (सोलह) दिनों का किया जाता है।

साथ ही प्रतिबंधित अवकाश भी एक वर्ष में अधिकतम तीन अवकाशों का उपभोग किया जा सकेगा। इस हेतु पदाधिकारियों/कर्मियों को पूर्वानुमोदन लेना होगा और ऐसा अनुमोदन सामान्यतः आकस्मिक अवकाश की भाँति सक्षम प्राधिकार द्वारा दिया जा सकेगा।

उक्त देय अवकाश कैलेंडर वर्ष के आधार पर देय न होकर, एक वर्ष की संविदा की पूरी अवधि के लिए मान्य होगा एवं तदनुसार ही इसका लेखा-जोखा रखा जाएगा।

यह आदेश दिनांक 01 जनवरी, 2014 से प्रभावी माना जाएगा।

ज्ञापांक:- 17/ESH 02/03/Estt./IDA/12

निदेशक (प्रशासन)  
दिनांक:- 01-01-14

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक (प्रशासन)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (योजना कार्यान्वयन) आई0डी0ए0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबन्ध निदेशक के विशेष सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सूचना पट्ट आई0डी0ए0 पर रक्षित करने हेतु परामर्शी (विज्ञापन एवं जनसम्पर्क) को प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)  
Biel

o/c